भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 176

जिसका उत्तर सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)को दिया गया

किफायती बीमा उत्पाद

176. श्री शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में बीमा उत्पादों को किफायती बनाने और वर्ष 2047 तक सभी देशवासियों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाकर बीमा कवर के दायरे एवं पहुंच का विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों में प्रस्तावित नीतिगत उपायों, नियामक सुधारों और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिलाओं के बीच बीमा कवर बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) व्यापक और किफायती बीमा प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों, डिजिटल प्लेटफार्मों तथा बीमा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका परिकल्पित की गई है; और

(ड.) महाराष्ट्र सहित राज्यों में और अधिक लोगों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग):- बीमा सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (पीएमजेजेबीवाई) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (पीएमएसबीवाई) की शुरुआत की है। पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जबकि पीएमएसबीवाई दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। ये योजनाएं आम लोगों, विशेष रूप से समाज के गरीब और वंचित वर्गों को क्रमशः 436 रुपये और 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर किफायती बीमा कवर प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने और नामांकन बढ़ाने के लिए, बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में, ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित नामांकन अभियान चलाए जाते हैं। वर्ष 2025 में, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन बढ़ाने, दावों के लंबित मामलों को कम करने और लाभार्थियों को समय पर लाभ का संवितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 31.10.2025 तक देश भर की 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी

स्थानीय निकायों (यूएलबी) में चार महीने का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" की शुरुआत की गई थी। दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तहत नामांकन का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

उपर्युक्त इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (पारिवारिक फ्लोटर पॉलिसियों सहित) के साथ-साथ उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट प्रदान की है, जिससे इनकी वहनीयता में सुधार हुआ है और बीमा उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिला है।

(घ) और (ड़):- महाराष्ट्र सहित राज्यों में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए, सरकार ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025' पेश किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक बीमांकन विशेषज्ञता और दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने के लिए एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। यह अधिनियम जोखिम कम करने के उपाय के रूप में जागरूकता बढ़ाने और बीमा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित 'पॉलिसीधारक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के निर्माण का भी प्रावधान करता है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 9 दिसंबर, 2024 को 'बीमा सखी - महिला करियर एजेंट (एमसीए) योजना' शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और वहां की महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके उनमें वित्तीय साक्षरता और बीमा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, देश में बीमा सखियों की कुल संख्या 2,86,909 है, जो 50% से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करती हैं, और इस प्रकार विशेष रूप से ग्रामीण महिला आबादी के बीच बीमा कवरेज को बढ़ावा दे रही हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 सभी बीमाकर्ताओं को ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बीमा की पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने को अनिवार्य बनाते हैं।

अनुबंध

दिनांक 20.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 01.07.2026 कि स्थिति के अनुसार देश और महाराष्ट्र राज्य का संचयी नामांकन विवरण नीचे दिया गया है:

दिनांक 01.07.2026 कि स्थिति के अनुसार	संचयी नामांकन	
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई
महाराष्ट्र	2,05,62,895	4,44,02,479
देश का कुल	27,83,89,334	58,77,96,267

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरण योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां

दिनांक 01.07.2026 कि स्थिति के अनुसार देश और महाराष्ट्र राज्य की कुल महिला नामांकन निम्नानुसार है:

दिनांक 01.07.2026 कि स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र का महिला लाभार्थी आंकड़ा				
योजना	**संचयी नामांकन (बैंकों, आरसीबी*, यूसीबी* और अभिसरण योजनाओं सहित)**	**संचयी नामांकन (केवल बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार)**	**केवल बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महिला लाभार्थी**	**महिला लाभार्थी % में**
	क	**ख**	**ग**	**ग/ख %**
पीएमजेजेबीवाई	2,05,62,895	2,01,93,524	1,02,25,966	50.64%
पीएमएसबीवाई	4,44,02,479	4,36,30,810	2,07,33,759	47.52%

नोट: *ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी), *शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और अभिसरण योजनाओं के लिए लिंग-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 01.07.2026 कि स्थिति के अनुसार देश का कुल - महिला लाभार्थी आंकड़ा				
योजना	**संचयी नामांकन (बैंकों, आरसीबी*, यूसीबी* और अभिसरण योजनाओं सहित)**	**संचयी नामांकन (केवल बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार)**	**केवल बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महिला लाभार्थी**	**महिला लाभार्थी % में**
	क	**ख**	**ग**	**ग/ख%**
पीएमजेजेबीवाई	27,83,89,334	23,93,22,444	12,93,82,475	54.06%
पीएमएसबीवाई	58,77,96,267	54,99,60,019	27,80,70,282	50.56%

नोट *ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी), *शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और अभिसरण योजनाओं के लिए लिंग-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।